न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

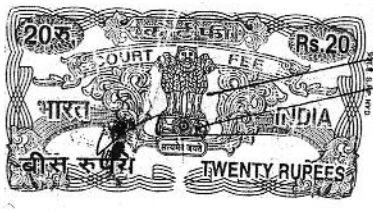

Rs. 201-

श्रीमती मीता सिंह पत्नी श्री राजा सिंह बैस निवासी ग्राम कैलाशपुर तहसील मझगवां, जिला सतना म0प्र0----------निगराकार

RS199-II/15

बनाम

1. मुन्नी बाई पिता रनधीर सिंह पत्नी रामबाबू सिंह
2. रामबाबू सिंह पिता जुगराज सिंह,

दोनो निवासी ग्राम कैलाशपुर तहसील मझगवां, जिला सतना (म0प्र0)----------गैर निगराकारगण

बी.आर.एन. साहू एड. के द्वारा आज दिनांक 30.11.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील मझगवां के राजस्व प्रकरण क्रमांक-3ए6ए/15-16 में पारित आदेश दिनांक 13.11.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 सं0-1959

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनय करती है कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक/रेस्पा0गण ने एक अन्तर्गत धारा 115,116 म0प्र0 भू0रा0सं0 के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस बात का निवेदन

Conti.....2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.. R S/199-II/15 .... जिला सतना

श्रीमती गीता सिंह / मुन्नीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मझगवां, जिला सतना के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13-11-15 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13-11-15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता के तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के न्यायालय में खसरा सुधार सम्बन्धी मामले में निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति पेश करने पर गैरनिगरानीकर्ता से जवाब लेकर उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। तहसीलदार ने यह विनिश्चय किया है कि "समय सीमा व सूचना प्राप्त होने के बाद की अवधि तथा प्रविष्टि विधि सम्मत होने के सम्बन्ध की वस्तुस्थिति का जहां तक प्रश्न है, यह साक्ष्य का विषय है और मामला साक्ष्य हेतु नियत किया है"। मेरे मत से तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13-11-15 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है क्योंकि मामले का पूर्ण विनिश्चय साक्ष्य आदि लेकर किया जाना है, जिसमें निगरानीकर्ता को उसका पक्ष समर्थन करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्
	उपरोक्त वस्तुस्थिति में निगरानी प्रचलन योग्य न होने से इसी प्रक्रम पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उनके मामले में उभयपक्ष को साक्ष्य का अवसर देकर, विधिक रूप से कार्यवाही करते हुए गुण-दोष के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित करें। प्रकरण पंजी से काट कर, संचित अभिलेखागार किया जाये। 18.12.15 सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.